

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रकाशनार्थ



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.यू./सा. प्रशा./1134/2014.15

दिनांक: 13.11.2014

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं/अन्य कार्य के लिए पंजीकृत फर्मों/एजेंसियों से किराये के वाहन दसों हेतु निविदा दिनांक: 03.12.2014 को अपराह्न 2.00 बजे तक उपकुलसचिव (प्रशा.) के कक्ष में रखे टेण्डर बॉक्स में जमा की जा सकती है, जिसे उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे सप्ताह में खोली जायेगी। निविदादाता निविदा प्रपत्र वि0वि0 के कैश काउन्टर से रु0 200.00 नकद जमा कर अथवा वि0वि0 की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से डाउनलोड कर रु. 200.00 का बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर के पक्ष में देय हो संलग्न कर जमा कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं अन्य विवरण वि0वि0 की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। (सय्यद वकार हुसैन), कुलसचिव

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

Ref. No.: C.S.J.M.U./ Gen. Admin./1134/2014-15

Date : 13.11.2014

क्रमांक:

मूल्य रु0 200/- (दो सौ मात्र)

निविदा प्रपत्र

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं/अन्य कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैवेल्स एजेंसियों से वाहन दरों हेतु दिनांक: 03.12.2014 को अपराह्न 2:00 बजे तक, जिन्हें सम्बन्धित कार्य करने का अनुभव हो, उनसे मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो कि उसी तिथि को अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र के लिफाफे के ऊपर "ट्रैवेल्स एजेंसी से वाहन दरों हेतु निविदा-2015" लिखना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र में निर्धारित धरोहर राशि रु0 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) केवल बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम जमा करना आवश्यक है। बिना धरोहर धनराशि के निविदा पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। अपेक्षित निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं, किन्तु डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रु0 200/- (रुपये दो सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम से कानपुर में देय होगा।

कुलसचिव

निविदा प्रपत्र का विवरण निम्नवत् है :-

1. ट्रैवेल्स एजेंसी का नाम व पता :
2. ट्रैवेल्स एजेंसी की पंजीकरण संख्या :
- एवं पंजीकरण प्रपत्र की प्रमाणित छायाप्रति
3. ट्रैवेल्स एजेंसी का टैन नं0 :
4. ट्रैवेल्स एजेंसी के स्वामी का पैन नं0 :
5. निविदा प्रपत्र क्रय करने सम्बन्धी विवरण-
बैंक ड्राफ्ट/रसीद सं0 दिनांक: बैंक का नाम.....
6. सुरक्षा धनराशि रु0 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का विवरण:
बैंक ड्राफ्ट/रसीद सं0 दिनांक: बैंक का नाम.....

आवेदक के हस्ताक्षर

मो0 नं0.....

By uo gpr

फर्म द्वारा प्रस्तुत दरें :-

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	स्थानीय किराया (250 किमी. तक)	बाहर का किराया (250 किमी. से अधिक)	नाइट चार्ज एवं अन्य
1.	मारुति वैन			
2.	टाटा सूमो, इण्डिका, बुलेरो (नॉन ए.सी.)			
3.	टाटा सूमो, इण्डिका, बुलेरो (ए.सी.)			
4.	क्वालिस, इन्नोवा, टवेरा, स्कार्पियो, इण्डिगो आदि लकजरी गाड़ियाँ			
5.	डी0सी0एम0 / आयसर / ट्रक			
6.	छोटा हाथी / लोडर			

क्रमांक-5 एवं 6 पर उल्लिखित वाहनों हेतु उल्लिखित दर कितने वजन हेतु प्रस्तुत की गयी है, इसका भी उल्लेख करें।

आवेदक के हस्ताक्षर



आवश्यक शर्तें एवं निर्देश :-

1. विश्वविद्यालय द्वारा निविदा के आधार पर योजित ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा रु0 100/- के स्टाम्प पेपर पर वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से अनुबन्ध करना होगा।
2. योजित ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा रु0 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) की सुरक्षा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जो कि वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना सुरक्षा धनराशि के आपकी निविदा पर विचार करना संभव नहीं होगा।
3. वाहन का पंजीकरण व कम्प्रीहेंसिव बीमा अद्यतन होना अनिवार्य है। साक्ष्य हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
4. चालक को सम्पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। चालक के पास नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
5. योजित अवधि में वाहन का रख-रखाव तथा उस पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय एजेंसी को वहन करना होगा।
6. एजेंसी के चालक का वेतन तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
7. कार्य समाप्त होने के पश्चात् अनुबन्ध के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने होंगे तथा अलग-अलग कार्य का अलग-अलग बिल प्रस्तुत करना होगा। बिलों में सम्बन्धित कार्यों का विधिवत उल्लेख करना होगा एवं बिल सम्बन्धित अधिकारी/सहायक द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
8. निविदा की अवधि अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। निविदा अवधि में किराये की दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
9. निविदा हेतु सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि केवल बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में ही मान्य होगी। सुरक्षा धनराशि के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0/बियरर चेक/आर्डर चेक/एकाउंट पेयी चेक संलग्न किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. एजेंसी को किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. ट्रैवेल्स एजेंसी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
12. ट्रैवेल्स एजेंसी के स्वामित्व में कितनी गाड़ियाँ हैं, उनका विवरण तथा स्वामित्व के अभिलेख भी संलग्न करना अनिवार्य है।
13. विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति जी को यह अधिकार है कि वह एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये, कभी भी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दे। किसी भी प्रकार से अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं होगी।
14. फर्म द्वारा दरें संलग्न प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जायें अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव

By  